न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी --श्री ओंकारमल यूण्ड (R.T.S.)

मु०नं० 5/2017 दायरा दिनांक 6.10.17

उनवान - मनोहरलाल पुत्र दयालाराम जाति खारवाल निवासी बसन्तपुरा त० उदयपुरवाटी

बनाम

कैलाशचन्द्र पुत्र गिरधारी लाल जाति कीर निवासी खारवालों की ढाणी बसन्तपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं (राज०)

अ०धा० 251 राज० का० अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 7.3.18

7.3.18 पत्रावली पेश हुई। फैरिक्न वकलाल उप०। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थना पत्र श्री मनोहरलाल पुत्र दयालाराम जाति खारवाल निवासी खारवालों की ढाणी बसन्तपुरा ने इस आशय का पेश किया कि कैलाशचन्द्र पुत्र गिरधारीलाल जाति कीर निवासी खारवालों की ढाणी बसन्तपुरा ने ख०नं० 107, व 111 के रास्ते में छपरिया व तारबंदी कर रास्ते को अवरुद्ध कर दिया है। प्रकरण रा०का० अधि० 1955 की धारा 251 के तहत दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी बाबत नोटिस अप्रार्थीगण की गई। तथा प्रा० पत्र की जाँच हल्का पटवारी हल्का ग्राम पंचायत भारीवाड से ली जाने हेतु लिखा गया। नोटिस प्राप्ति पर वादी की ओर से एडवोकेट बनवारी लाल ~~सैनी~~ ने अपना वकालतनामा पेश किया गया शामिल मिसल हो प्रतिवादी की ओर से हरलाल सिंह सैनी एड० ने अपना

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक
(3) तहसीलदार उदयपुरवाटी झुन्झुनूँ	वकालतनामा पेश कर वादि साक्ष्य सबूत व नोटिस प्रभाव हेतु समय चाहा। कई अवसर दिये जाने उपरान्त प्रतिवादी वकील ने नोटिस जवाब पेश किया कि जिस स्थल पर अवरोध के आधार पर आवागमन बाधित होने बाबत माननीय न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किया गया है उपरोक्त नोटिस मे वर्णित जिस प्रार्थना पत्र का विवरण अंकित किया गया है उसके सम्पूर्ण कथन गलत है तथाकथित रोड से आशीवाद जाने वाली सड़क सड़क से हटकर उत्तर दिशा के रघुनाथी मकान से होकर कभी कोई रास्ता नहीं रहा है। अ. मौके पर कोई रास्ता कभी भी नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र व नोटिस निरस्त होने योग्य है। शिकायत मनोहरलाल के पास सड़क रोड से आशीवाद वाली से एक रास्ता श्रीराम के घर के पश्चिम दिशा के सटकर जाता है जिसकी चौड़ाई 12 फीट है जो मुख्य रास्ते के रूप मे मौके पर है जिसी से होकर आवागमन होता है। गाड़िया वगैरह आती जाती है पटवारी हल्का व ग्राम सेवक की रिपोर्ट दिनांक 6.11.17 से उपरोक्त कथन की पुष्टि होती है जिसमे वाहन, पैदल यात्री, कास्त के काम आने वाले यंत्र उपरोक्त सड़क से आराम से आ जा सकते है इसलिए वैकल्पिक व सुविधाजनक रास्ता उपलब्ध होने के कारण शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी आधार के शिकायत की गई है वह निरस्त होने योग्य है	

अनुपालन क्रमांक व दिनांक	कार्यवाही विवरण	अनुपालन क्रमांक व दिनांक

का उल्लेख नहीं है ना ही कभी पगडंडी अथवा
रास्ता रहा है ना ही आज है। उक्त खसरा नं०
के बाकी प्रार्थी नारखेड़ी के पश्चिम व
दिशा के सीमा पर आबादी है इस तरह
उक्त स्थान को वैस्ट हेड डैमेज करके नया
रास्ता कायम नहीं किया जा सकता अतः नोटिस
खारीज फरमाया जावे।

ग्राम पंचायत माठीवाड़ की रिपोर्ट अनुसार
मनोहरलाल पुत्र दयालाराम जाति खाटवाल नि०
ग्राम नयपुरा माठीवाड़ के घर पर आने जाने का
रास्ते मौके पर बंद है। यदि प्रशासन इसको
रास्ता उपलब्ध कराता है तो पंचायत को
कोई आपत्ति नहीं है। तत्पश्चात हल्का पटवारी
की रिपोर्ट प्राप्त होने पर मुताबिक रिपोर्ट आम
रोड से माठीवाड़ सड़क से दक्षिण में बिन्दु H
हैण्डपम्प है बिन्दु T पर पॉइंट बना हुआ है
कैलाशचन्द्र पुत्र गिरधारी का मकान है बिन्दु
P मनोहरलाल पुत्र दयालाराम का घर है बिन्दु
E दयालाराम पुत्र सुरजाराम का घर है। बिन्दु
A से B कैलाशचन्द्र द्वारा नारखेड़ी कर रखी
है। बिन्दु C पर कैलाशचन्द्र का पानी हौद
है। बिन्दु S से R तक मनोहरलाल का पूर्व के
रास्ता होना कैलाशचन्द्र ने बताया है लेकिन
गत एक वर्ष से उक्त रास्ता कैलाशचन्द्र ने
बंद करना बताया है। मनोहरलाल वर्तमान
में दयालाराम की गुवाड़ी के अन्दर से 2 फीट
दीवार के ऊपर से गैलरी बनाकर अपनी
गुवाड़ी P ...

आदेश	कार्यवाही विवरण	अनुपा क्रमांक
	(गिरदावर) पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज व ~~गिरदावर~~ हल्का व ग्राम पंचायत की रिपॉट हेव राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम बसन्तपुरा (जाटी वाड़ाला) की मे मनोहरलाल द्वारा अपने घर पर आने जाने वाले रास्ते को बिन्दु A से B तक कैलाशचन्द्र द्वारा छाडिया व तारबंदी का अवरुद्ध करने पर अन्य कोई रास्ता आने जाने का नही होने के कारण रा० का० अधिनियम 1955 की धारा 251 (सुखाचार) के तहत पूर्व से प्रचलित रास्ते को खोले जाने के आदेश दिये जाते है तथा ~~इसमें~~ भू.अ.नि. के पटवारी हल्का की रिपॉट व नजरी नक्शा आदेश का हिस्सा रहेगी। भू. अ. निरीक्षक के व पटवारी हल्का को उक्त आदेश की पालना की जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ्थी दफ्तर हो आज दिनांक 7.3.2018 को निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।	

तहसीलदार उदयपुरवाटी
झुन्झुनूँ